न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज)

पीठासीन अधिकारी :– **श्री सुनील कुमार I, (RAS)**

राजस्व वाद संख्या :– 137/2024 **GCMS 2024/256**

प्रार्थीगणः–

1. मालूराम पुत्र चन्द्राराम जाति जाट निवासी शिव तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन

अप्रार्थीः–

1. राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार कुचामन सिटी

दावा बाबत् घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 आरटी एक्ट 1955

उपस्थित :– अधिवक्ता श्री श्यामसुंदर चौधरी प्रार्थी की ओर से।
राज. पैराकार उपस्थित।

–:निर्णय :–

दिनांक :– 09/05/2025

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि मौजा ग्राम शिव पटवार हल्का शिव में कृषि भूमि पुराने खसरा नम्बर 65 रकबा 130 बीघा 10 बिस्वा स्थिल चली आ रही है जिसमें 25 बीघा भूमि तत्कालीन खातेदार मंगेज सिंह पुत्र बरीसाल सिंह जाति राजपूत निवासी शिव व 105 बीघा 10 बिस्वा भूमि तत्कालीन खातेदार चन्द्रा पुत्र डालू जाट के खातेदारी दर्ज रही। नवीन भू–प्रबंध कार्यवाही के समय ग्राम शिव के पुराने खसरा नम्बर 65 रकबा 130 बीघा 10 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 365 रकबा 4.1600, खसरा नम्बर 366 रकबा 4.97 हैक्टयर, खसरा नम्बर 367 रकबा 0.03 हैक्टयर, खसरा नम्बर 368 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 369 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 370 रकबा 0.08 हैक्टयर, खसरा नम्बर 371 रकबा 10.69 हैक्टयर कुल रकबा 19.99 हैक्टयर कायम किय गये। ग्राम शिव के पुराने खसरा नम्बर 65 रकबा 130 बीघा 10 बिस्वा के टुकड़े करते समय उसका रकबा 7 बीघा यानि 1.13 हैक्टयर राजस्व रेकर्ड में कम दर्ज करते हुए कुल रकबा 19.99 हैक्टयर दर्ज किया जबकि भू–प्रबंध कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा कुल रकबा 21.1200 हैक्टयर दर्ज कर दिया गया था। खसरा नम्बर 65 रकबा 130 बीघा 10 बिस्वा के नवीन भू–प्रबंध कार्यवाही में टुकड़े कर विभाजन कर दिया तथा खातेदार मंगेज सिंह पुत्र बेरीसाल सिंह को नये खसरा नम्बर 365 रकबा 4.16

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 15:27:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना–कुचामन)

हैक्टयर का खातेदार दर्ज कर दिया तथा स्व. चन्द्राराम के स्थान पर उनकी पत्नी अणची देवी बेवा चन्द्राराम को नये खसरा नम्बर 366 रकबा 4.97 हैक्टयर का खातेदार दर्ज कर दिया तथा मालूराम पुत्र चन्द्राराम को खसरा नम्बर 367 रकबा 0.03 हैक्टयर, खसरा नम्बर 368 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 369 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 370 रकबा 0.08 हैक्टयर, खसरा नम्बर 371 रकबा 10.69 हैक्टयर कुल खसरा 05 कुल रकबा 10.86 हैक्टयर का खातेदार दर्ज किया जबकि मालू पुत्र चन्द्रा को कुल 11.99 हैक्टयर का खातेदार दर्ज किया जाना था। भू–प्रबंध के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा नवीन खसरा नम्बर 371 का रकबा 10.69 हैक्टयर की जगह 11.82 हैक्टयर दर्ज करना था परंतु खसरा नम्बर 371 का रकबा 1.13 हैक्टयर भूलवश कम दर्ज कर दिया गया। मौके पर नवीन खसरा संख्या 371 का नाप करने पर इसका रकबा 11.82 हैक्टयर आता है तथा नये नक्शे का नाप किया जाता है तो खसरा संख्या 371 का नाप 11.82 हैक्टयरन ही आता है तथा पुराने खसरा नम्बर 65 का नाप 130 बीघा 10 बिस्वा आता है। मौके पर नाप नये नक्शे अनुसार खसरा नम्बर 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371 का किया जाता है तो कुल नाप 130 बीघा 10 बिस्वा यानि 21.12 हैक्टयर आता है इस प्रकार भू–प्रबंध अधिकारी एवं कर्मचारियों ने भूलवश नये खसरा संख्या 371 का नाप 10.69 हैक्टयर राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिया जबकि उन्हें खसरा नम्बर 371 का नाम राजस्व रेकर्ड में 11.82 हैक्टयर दर्ज किया जाना था। इस प्रकार भूलवश नाप कम दर्ज कर दिया गया। मौके के नक्शे अनुसार खसरा संख्या 371 का नाप 11.82 हैक्टयर है। अभी वादी द्वारा उपरोक्त पुराने खसरा संख्या 65 जिसके नये खसरा संख्या 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371 के राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपिया मई माह 2024 में निकलवाई व इन खतौनियों नई पुरानी का मिलान हल्का पटवारी से करवाया तथा मौके व नक्शे से नाप चौक करवाया तो उससे जानकारी हुई की वादी की खातेदारी की भूमि के खसरा नम्बर 341 का रकबा [illegible] रेकर्ड में 1.13 हैक्टयर कम दर्ज किया हुआ है। वादी द्वारा [illegible] अधिकारियों को खसरा नम्बर 371 का रकबा राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त कर [illegible] करने को कहा तो उन्होने स्पष्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 15:27:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

मना कर दिया कि यह अधिकार हमारे को नहीं है। इसलिए यह वाद बाबत् घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती लाना लाजमी हुआ है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश किया गया। जो शामिल मिसल किया गया। उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया व राजपैरोकार ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा ग्राम शिव के नये खसरा नम्बर 371 का रकबा 10.69 हैक्टयर के स्थान पर रकबा 11.82 हैक्टयर संशोधित कर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का कथन किया है। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकर्ड के अवलोकन से प्रतीत होता है कि तत्समय भूप्रबंध संक्रिया सही व मौके की स्थिति अनुसार ही की गई है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09/05/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार I,RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 15:27:10 IST
Reason: SelfAttested